

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021—ज्येष्ठ 7, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2021

क्रमांक एफ 5-5/2018/1(एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12-10-2020 से 20-10-2020 तक (9 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 11-10-2020 के सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 21-10-2020 से 26-10-2020 तक के सार्वजनिक/दशहरा अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 मार्च 2021

क्रमांक एफ-1-02/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा/राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.-2017)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा
2.	श्री रोहित झा (रा.पु.से.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बिलासपुर.
3.	श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम (रा.पु.से.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्ग.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IUCAW दुर्ग
4.	श्री संजय ध्रुव (रा.पु.से.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बिलासपुर.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग
5.	श्री अनंत साहू (रा.पु.से.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्ग
6.	श्री ओम चंदेल (रा.पु.से.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा
7.	श्री मणीशंकर चन्द्रा (रा.पु.से.)	नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव	उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन, नारायणपुर.
8.	श्री लोकेश देवांगन (रा.पु.से.)	उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन, नारायणपुर.	नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव
9.	श्री अभिषेक झा (रा.पु.से.)	उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, दुर्ग
10.	श्री हरीश पाटिल (रा.पु.से.)	उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	अनुविभागीय अधिकारी मोहला, मानपुर
11.	सुश्री पारूल अग्रवाल (रा.पु.से.)	उप पुलिस अधीक्षक रायपुर	उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक एफ 05-01/2021/43.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-05-2007 में संशोधन करते हुए जिला स्तरीय समीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार करता है :—

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | माननीय जिला प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य | उपाध्यक्ष |
| 3. | संबंधित जिले के केन्द्र एवं राज्य के मान. मंत्री, जिले के समस्त सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं बीस सूत्रीय कार्यालय के संबंधित कार्यालय प्रमुख. | सदस्य |
| 4. | जिला कलेक्टर | सदस्य सचिव |
| 5. | 10 अशासकीय सदस्य | नामांकित सदस्य |
2. नामांकित सदस्यों का नामांकन शीघ्र किया जायेगा.
3. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 66/सा.प्र.वि./2021/5, दिनांक 12-03-2021 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2021

क्रमांक एफ 03-41/2019/वा.क.(पं.)/पांच.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2019 से प्रचलित बाजार मूल्य दरों (गार्ड लाईन) को 30 प्रतिशत घटाया जाकर दिनांक 25 जुलाई 2019 से वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए प्रभावशील किया गया था. जिसकी प्रभावशीलता तिथि में दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिए वृद्धि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2020 द्वारा की गई थी.

आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 12-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उक्त प्रभावी बाजार मूल्य दरों (गार्ड लाईन) तथा उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि में दिनांक 31 मार्च 2022 तक वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मई 2021

क्रमांक 2012/85/डी-3/जसं./2018-19.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र.-3 सन् 1931) की धारा 37-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कृषकों की 1 नवम्बर, 2018 से 30 जून, 2020 तक की स्थिति में सिंचाई जल कर की बकाया राशि एवं वर्ष 2020-21 की चालू मांग राशि (खरीफ एवं रबी) को माफ करने की घोषणा करती है।

No. 2012/85/D-3/WR/2018-19.—In exercise of the powers conferred by Section 37-A of Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), the State Government, hereby, declares to waive off the amount of arrears of irrigation water tax accrued from 1st November, 2018 upto 30th June, 2020 and current water tax of year 2020-21 (Kharif and Rabi) of all the cultivators of the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अप्रैल 2021

क्रमांक एफ 5-27/2020/26.—राज्य शासन एतद्वारा दिव्यांगजन हेतु पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदाय योजना हेतु संलग्न अनुसार एकीकृत दिशा-निर्देश जारी करता है।

2. यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिव्यांगजन हेतु पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदाय योजना हेतु दिशा-निर्देश

1. **प्रस्तावना :—** भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की जनसंख्या 2.68 करोड़ है और जो देश की कुल जनसंख्या के 2.21 प्रतिशत है, जिसमें छत्तीसगढ़ में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित दिव्यांगता अनुसार 2011 के अंतर्गत कुल 6.24 लाख दिव्यांगजन निवासरत है, इनमें लगभग 1.11 लाख दृष्टि बाधित, 1.20 लाख मूक-बधिर तथा 2.20 लाख दिव्यांगजन अस्थि बाधित है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौतिक सुगम्यता, उन्हें समान अवसरों तक पहुंच बनाने, सक्षम बनाने, आत्मनिर्भरता पूर्वक रहने तथा एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से भाग लेने हेतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाना शासन की जवाबदेही है।

शासन का यह दायित्व है, कि वह एक समावेशी समाज का सृजन करें, जिसमें एक उत्पादन, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन जीने हेतु दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के समान अवसर तथा पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन, सशक्तिकरण विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर सुगम्य भारत अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों, महाविद्यालयों, विद्यालयों शासकीय/गैर शासकीय कार्यालयों में रैंप का निर्माण तथा पहुंचनीय शौचालयों आदि का निर्माण मुख्य रूप से किया जा रहा है।

2. **योजना का उद्देश्य :—** इस योजना अंतर्गत चलन दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि में प्रगति लाना है। इस योजना के माध्यम से समावेशी समाज की परिकल्पना का सृजन होगा। यह योजना राज्य के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, समावेशीकरण के साथ सामाजिक न्याय हेतु मील का पत्थर सिद्ध होगी।

दिव्यांगजनों को हर क्षेत्र (दूरस्थ स्थलों में जाकर अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करने) में अपने पैरों में खड़े होने का समान अवसर प्रदान करना, जिससे उनके शैक्षणिक स्तर एवं आजीविका के साधन में वृद्धि कर नवीन रोजगार का सृजन करना तथा जीवन स्तर का उत्थान कर आर्थिक सुदृढ़ता लाना।

3. योजना का स्वरूप :—

- 3.1 इस योजनांतर्गत राज्य के दिव्यांगजनों को पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) वितरित की जावेगी. जिसमें मुख्यतः—
 - (i) छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा रोजगार आदि में सहायता मिलेगी.
 - (ii) कामगार वर्गों को जो अपने-अपने घर/गांव से बाहर रोजगार के लिए नहीं जा पाते हैं एवं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे कहीं भी जाकर अपनी सेवा देकर यथाशक्ति पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है.
 - (iii) स्वरोजगार हेतु लोगों को प्रेरित करना, जिसमें उचित कौशल की कमी है, उन्हें हाट-बाजार में अपना स्वरोजगार जैसे-चाय/नाश्ता की दुकान, बर्फ के गोले की दुकान, बिस्किट एवं बेकरी की दुकान, आईसक्रीम की दुकान, घर पहुंच टायर-ट्यूब मरम्मत का कार्य, आयोजनों का माईक सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार (राजनीतिक, असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त न किया जाए), प्रचार-प्रसार, मौसम/त्यौहार के अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं.
 - (iv) महिला वर्ग अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में सक्षम हो सकेंगी, साथ ही अपना कोई छोटा सा व्यवसाय जैसे-साग-सब्जी क्रय-विक्रय, कपड़े बेचने तथा सिलाई का कार्य आदि करने में सक्षम हो सकेंगी.
 - (v) आयु वर्ग 40 से 60 वर्ष तक (Middle Age) जो कई वर्षों से अपने स्नेहीजन से दिव्यांग होने के कारण स्वयं जाकर भेंट नहीं कर पाते हैं, अब वे भी अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं.
 - (vi) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम अंतर्गत विहित विधिक अभिभावक (जो कि अधिनियम अंतर्गत परिभाषित दिव्यांगजन) के संरक्षित दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य/भेंट/भ्रमण/शिक्षण-प्रशिक्षण को सहज अथवा सुगम्य करने के दृष्टिकोण से प्रदाय किया जायेगा.
 - (vii) कोई भी दिव्यांगजन रात्रि कालीन समय पर अपना कार्य सुगमता से कर सकेगा, क्योंकि उक्त पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) में हेड लाईट, दोनों साईड के इंडिकेटर, हॉर्न आदि दिया गया है.
- 3.2 योजना अंतर्गत पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) दिव्यांगजनों को प्रदाय किया जायेगा.
- 3.3 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजनों द्वारा संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.
- 3.4 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा सहित सूची संबंधित संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को उपलब्ध कराया जावेगा.
- 3.5 विभाग/संस्था द्वारा सूची उपलब्ध किये जाने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाले समारोह/कार्यक्रमों/शिविरों आदि के माध्यम से यह पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) वितरित किया जावेगा.
- 3.6 बजट की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार विभागीय जिला कार्यालय द्वारा पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) क्रय करने की प्रक्रिया का सक्षम अनुमोदन के पश्चात् ही क्रय कर वितरण की कार्यवाही की जावेगी.
- 3.7 इस योजनांतर्गत प्रदाय किये गये पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का 15 वर्ष तक पुनः लाभ नहीं दिया जावेगा.

- 3.8 वितरण दिनांक से 30 दिवस के भीतर पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के कागजात (आर.सी.बुक) संबंधित दिव्यांग व्यक्ति को एजेंसी द्वारा नियमानुसार हस्तांतरित कर दिया जावेगा. पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के तकनीकी एवं अन्य समस्या का निराकरण प्राप्तकर्ता दिव्यांगजन संबंधित एजेंसी के सर्विस सेंटर के तकनीशियन के सुपरविजन में नियमानुसार कराएंगे.

4. **योजना का विस्तार एवं क्रियान्वयन एजेंसी :—**

- 4.1 यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगी. इसमें दूरस्थ एवं पहुंच विहीन क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जावेगी.
- 4.2 विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-19/2019/26 दिनांक 17-01-2020 द्वारा राज्य स्तर से केन्द्रीयकृत प्रणाली अन्तर्गत सहायक उपकरण/अन्य सामग्री क्रय के संबंध में प्राप्त अनुमोदन के आधार पर भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए चयनित एजेंसी से ही पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का क्रय सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर किया जावेगा.
- 4.3 योजनान्तर्गत चिन्हित हितग्राहियों को पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का वितरण 03 दिसम्बर को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर अथवा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार किया जावेगा.

5. **लक्ष्य :—**

- 5.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक योजना अंतर्गत पात्रतानुसार समस्त दिव्यांगजनों को पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदाय करने का लक्ष्य प्रस्तावित है. जिसमें प्रत्येक जिले अंतर्गत न्यूनतम 50 नग और अधिकतम 200 नग पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का वितरण किया जावेगा.
- 5.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 (05 वर्ष) के अंतराल में उक्त प्रक्रिया का पालन किया जावेगा. तत्पश्चात योजना के निरंतरता हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा.

6. **पात्रता, शर्तें एवं वांछित दस्तावेज :—**

- 6.1 प्रदेश के ऐसे दिव्यांगजन जो चलन दिव्यांगता—जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट, पोलियो से ग्रसित (विशेष रूप से निचले अंग से प्रभावित व्यक्ति) हैं तथा उक्त के अतिरिक्त विधिक अभिभावक के संबंध में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में परिभाषित दिव्यांग है, को प्राथमिकता एवं पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा.
- 6.2 ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास पूर्व में परंपरागत ट्राई सायकल अथवा बैटरी चलित मोटराईज्ड ट्राई सायकल उपलब्ध हों एवं यदि वह इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक होते हैं तो संबंधित विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु एक साथ दोनों योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते. कम से कम 3 वर्ष का समयान्तराल आवश्यक होगा.
- 6.3 इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा तथा आवेदक पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के संचालन में सक्षम हो, के अतिरिक्त निम्नांकित पात्रताओं को पूर्ण किया जाना होगा :—

(क) **अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु — (विशेष प्राथमिकता)**

- (i) अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो. (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)
- (ii) अभ्यर्थी की आयु 18 से कम व 40 वर्ष से अधिक न हो. (इस हेतु अभ्यर्थी आवेदन के साथ 10वीं की अंक तालिका की प्रति प्रस्तुत करें) अथवा आयु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अथवा शासकीय कार्यालयों में मान्य प्रमाण-पत्र.

- (iii) अभ्यर्थी द्वारा वाहन चलाने हेतु परिवहन विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देश अनुसार ड्राइविंग लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी.
- (iv) सभी स्रोतों से स्वयं की अथवा आश्रित के मामले में माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय राशि रुपये 20,000/- तक हो. इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना न हो.
- (v) 60 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र.
- (vi) नियमित छात्र-छात्राओं को संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रमुख से प्रमाणित प्रति अनिवार्य होगी.
- (ख) **रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न हेतु—**
 - (i) अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो. (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)
 - (ii) अभ्यर्थी की आयु 18 से कम व 40 वर्ष से अधिक न हो. (इस हेतु अभ्यर्थी आवेदन के साथ 10वीं की अंक तालिका की प्रति प्रस्तुत करें) अथवा आयु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मान्य प्रमाण-पत्र.
 - (iii) अभ्यर्थी द्वारा वाहन चलाने हेतु परिवहन विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देश अनुसार ड्राइविंग लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी.
 - (iv) सभी स्रोतों से स्वयं की अथवा आश्रित के मामले में माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय राशि रुपये 20,000/- तक हो. इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना न हो.
 - (v) 70 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाणित दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र.
 - (vi) रोजगार में कार्यरत दिव्यांगजन को संबंधित कार्यालय प्रमुख से प्रमाणित पे-स्लीप, कार्यस्थल आदि के संबंध में आवेदक का शपथ पत्र.
 - (vii) स्वरोजगार ऋण देयक के भुगतान की प्रति तथा संबंधित बैंक/विभाग/संस्था प्रमुख से प्रमाणित प्रति.
- (ग) **अध्ययनरत/रोजगार/स्वरोजगार के अतिरिक्त अन्य हेतु —** यदि आवेदक उक्त दोनों श्रेणी में नहीं आता है तो उसके आवेदन के संबंध में सम्पूर्ण परीक्षण के उपरान्त संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा. प्रकरण में जिला कलेक्टर की अनुशंसा अनिवार्य होगी.

6.4 राज्य के दिव्यांगजन जिनके द्वारा उक्त कंडिकाओं की पूर्ति नहीं की जाती है वह इस योजना अंतर्गत अपात्र की श्रेणी में होंगे.

7. योजना का वित्तीय प्रबंधन :—

- 7.1 संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण में संधारित निराश्रित निधि एवं संचालनालय स्तर पर संधारित निराश्रित निधि से विभागीय पत्र क्रमांक एफ 3-19/2019/26, दिनांक 17-01-2020 द्वारा प्राप्त अनुमोदन अनुसार अथवा निःशक्त कल्याण निधि अथवा सामाजिक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी (Social Corporate Responsibility) अथवा जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) आदि मद से उपलब्ध राशि अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी.

- 7.2 योजना हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरांत उक्त प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा में ही किसी भी प्रकार के संशोधन/पुनरीक्षण विभागीय अनुमोदन से किया जा सकेगा.

8. **हितग्राही का चयन :—**

- 8.1 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के वितरण हेतु समस्त विभागीय जिला कार्यालय द्वारा निर्देश कंडिका 6 में उल्लेखित अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप-एक में आवेदन प्राप्त कर संबंधित हितग्राही का तकनीकी परीक्षण किया जावेगा, इसके उपरांत संबंधित लाभार्थियों का चयन कर निर्देशानुसार पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदाय किया जाएगा.
- 8.2 जिलेवार चयनित हितग्राहियों की सूची संचालनालय को उपलब्ध करायी जावेगी.
- 8.3 इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तथा अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी.

9. **हितग्राहियों का पंजीयन :—** पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) हेतु चयनित हितग्राहियों के पंजीयन हेतु विभागीय वेबसाईट में पोर्टल बनाया जावेगा जिसमें हितग्राहियों की समस्त जानकारी प्रविष्टि के पश्चात् ही पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) वितरित की जावेगी. प्राप्त आवेदनों को प्रारूप-दो अनुसार जिला कार्यालय पंजी संधारित करेंगे.

10. **एजेन्सी का चयन :—** इस योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्रदाय की जाने वाली पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) हेतु संचालनालय समाज कल्याण द्वारा राज्य स्तर से निविदा आमंत्रित कर योग्यताधारी एजेन्सी का चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा किन्तु विभागीय मंत्री के निर्देशानुसार, दरों का अंतिम निर्धारण शासन स्तर पर किया जावेगा. तत्पश्चात् जिलेवार मांग के अनुरूप संबंधित चयनित इकाई द्वारा पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) उपलब्ध करायी जायेगी.

11. **वितरण हेतु निर्धारित नीति :—**

- 11.1 जिला कार्यालयों से प्राप्त दिव्यांगजनों की सूची के आधार पर पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) वितरण हेतु जिलों से कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी द्वारा निर्धारित मापदंडों पर पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) जिलों को उनके बताये गये पते पर उपलब्ध कराई जावेगी.
- 11.2 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) वितरण के पूर्व वितरित किये जाने वाले स्थल/शिविरों/समारोह आदि की जानकारी संबंधित एजेन्सी को दिया जाना आवश्यक होगा ताकि उक्त अवसरों में पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) उपलब्ध करायी जा सकें.
- 11.3 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का वितरण शासन की मंशानुरूप शिविर/मेला/समारोह आदि में माननीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जावेगा अथवा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

12. **वारंटी की शर्तें :—** पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) व उनमें स्थापित किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों पर निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी द्वारा दी जा रही सेवाएं नियमानुसार उपलब्ध कराई जावेगी.

13. **मॉनिटरिंग व रख रखाव :—** वितरित किये गये पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के मॉनिटरिंग व रखरखाव हेतु चयनित एजेन्सी के जिलावार अंतर्गत स्थापित सर्विस सेंटर तथा विभागीय कार्यालयों की निम्नानुसार जिम्मेदारियाँ होंगी :—

- 13.1 संबंधित जिला कार्यालय द्वारा वितरित की जाने वाली पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का शत् प्रतिशत् निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा.
- 13.2 वारंटी अवधि अंतर्गत वितरित पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित हितग्राही, विभागीय जिला कार्यालय एवं एजेन्सी के सर्विस सेंटर से समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करेंगे.

- 13.3 हितग्राही को तकनीकी खराबी की शिकायत संबंधित एजेन्सी की सर्विस सेंटर में करते हुए विभागीय जिला कार्यालय को सूचना देनी होगी, संबंधित एजेन्सी द्वारा प्राप्त शिकायत का यथाशीघ्र निराकरण कराया जाना होगा तथा इसकी जानकारी से विभागीय जिला कार्यालय को अनिवार्यतः ससमय अवगत कराया जाना होगा. पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) की सुरक्षा का दायित्व हितग्राही का होगा.
- 13.4 पांच वर्षों की वारंटी अवधि उपरांत भी हितग्राही द्वारा पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का रखरखाव किया जावेगा. उक्त संबंध में वारंटी अवधि तक तथा इसके पश्चात् उसके रख-रखाव या अन्य व्यय के संबंध में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की व्यय की पूर्ति नहीं की जावेगी.
- 13.5 उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा योजनांतर्गत वितरित की जाने वाली पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का औचक निरीक्षण किसी तृतीय स्वतंत्र इकाई के माध्यम से (सामाजिक अंकेक्षण) भी करायी जा सकेगी.
- 13.6 लाभार्थी द्वारा पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का विक्रय, हस्तांतरण तथा अन्य किसी माध्यम में नहीं किया जावेगा. औचक निरीक्षण अथवा अन्य किसी माध्यम से उक्त संबंध में जानकारी/शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित हितग्राही से नियमानुसार उक्त वाहन के लागत मूल्य की राशि की वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी.
14. **समिति का गठन एवं दायित्व :—**
जिला स्तर पर निम्नांकित अनुसार समिति का गठन किया जावेगा :—
- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1. | संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण | — | अध्यक्ष |
| 2. | जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 3. | अस्थि बाधित के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ | — | अशासकीय सदस्य |
| 4. | परिवीक्षा अधिकारी अथवा समाज शिक्षा संगठक | — | सदस्य/सचिव |
- उक्त समिति का निम्नांकित दायित्व होगा :—**
- 14.1 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के वितरण पूर्व प्रस्तावित सूची अनुसार हितग्राही का सर्वे, उपयुक्त चयन, निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक जानकारियां संकलित कर व यथोपरि के संबंध में समिति की अनुशंसा सहित जानकारी जिला कलेक्टर के समक्ष वितरण से पूर्व अनुमोदन लिया जाना होगा.
- 14.2 कार्यादेश जारी होने के उपरांत निर्धारित मापदंडों के अनुसार पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का वितरण कर वितरित पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) की आवश्यक जानकारियां निर्धारित प्रारूप में संकलित कर फोटोग्राफ्स के साथ संचालनालय समाज कल्याण को प्रेषित कर जिला कार्यालय में संधारित किया जाना होगा.
- 14.3 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) की संतुष्टि जनक कार्यशीलता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी.
15. **विभाग/संस्था/विभागीय जिला कार्यालयों/हितग्राही के दायित्व :—**
- 15.1 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के प्राप्ति हेतु निःशुल्क पात्र दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा.
- 15.2 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) की सुरक्षा, समुचित व्यवस्था हितग्राही को करनी होगी.
- 15.3 किसी भी स्थिति में विभाग के लिखित अनुमति के बिना उक्त पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) विस्थापित अथवा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जावेगी.

- 15.4 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) एवं उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा अन्यत्र नहीं किया जायेगा. हितग्राही द्वारा वाहन का उपयोग भार वाहन के रूप में नहीं किया जावेगा.
- 15.5 विभाग द्वारा पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के वितरण हेतु जारी कार्यादेश में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तों का पालन समिति एवं हितग्राही को किया जाना होगा.
- 15.6 हितग्राही/संस्था द्वारा पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के देखरेख हेतु अधिकृत व्यक्ति किसी भी स्थिति में पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के उपकरणों से छेड़-छाड़ नहीं करेगा. ऐसा पाये जाने पर पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) अथवा उसका कोई उपकरण हितग्राही/संस्था द्वारा संयंत्र के देखरेख हेतु अधिकृत व्यक्ति की असावधानी अथवा छेड़-छाड़ से खराब हुआ है, तो स्कूटर/स्कूटी/उपकरण की वारंटी शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा. एवं ऐसी स्थिति में हितग्राही/संस्था के व्यय पर ही स्कूटर/स्कूटी/उपकरण में सुधार संभव होगा.
16. **शिकायत व निराकरण :—** पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के वितरण पश्चात् मैदानी स्तर पर प्राप्त होने वाले शिकायतों के निराकरण किये जाने की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां की जाएगी :—
- 16.1 जिला कार्यालय स्तर पर एक शिकायत पंजी का संधारण किया जाना होगा, जिसमें किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का संधारण किया जाएगा व उन शिकायतों का निराकरण संबंधित सिस्टम इंटीग्रेटर/इकाई के माध्यम से तत्काल (07 दिवस की समयावधि के अंदर) कराना होगा. इन शिकायतों के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण उचित माध्यम से संचालनालय समाज कल्याण को प्रतिमाह प्रेषित किया जाना होगा.
- 16.2 जिला कार्यालय स्तर पर निराकृत ना हो पाने वाले प्रकरणों की जानकारी से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा संचालनालय समाज कल्याण को तत्काल अवगत कराया जाना होगा. संचालनालय समाज कल्याण द्वारा तदनुसार प्रकरणों की जानकारी पृथक से संकलित कर ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
- 16.3 सिस्टम इंटीग्रेटरों को उनके द्वारा वितरित पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) में खराबी होने पर उन्हें उक्त खराबी अधिकतम 15 दिवसों में वारंटी अवधि तक की स्थिति में ठीक करानी होगी.
- 16.4 पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) के रख-रखाव एवं सुधार का कार्य यदि किसी एजेन्सी द्वारा उचित ढंग से नहीं किया जाता है एवं खराबियों को उनके द्वारा अविलंब नहीं सुधारा जाता है, तो उन्हें काली सूची में डालने की कार्यवाही की जावेगी.
- 16.5 किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.
17. **योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार :—** पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होडिंग, समाचार पत्रों, शासकीय विभागों तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के आयोजित कार्यक्रमों में इसे प्रमुखता से प्रसारित किया जावेगा, साथ ही इनका प्रचार-प्रसार शासन के संबंधित विभागों जैसे-स्कूल/उच्च/तकनीकी/कौशल विकास, रोजगार एवं प्रशिक्षण/चिकित्सा शिक्षा/खेल एवं युवा कल्याण/नगरीय प्रशासन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/जनसंपर्क तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट के माध्यम से किया जावेगा.
18. **योजना की प्रगति की समीक्षा :—** समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना की प्रगति की समय-समय पर राज्य तथा जिला स्तर पर समीक्षा की जावेगी. जिला कार्यालय द्वारा एक निश्चित अंतराल में कार्य एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन संचालक समाज कल्याण संचालनालय को प्रस्तुत किया जावेगा.

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-1/2015/स.क./26 दिनांक 08-09-2015 द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय करने की अधिकतम सीमा राशि रुपये 6900/- से पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदाय योजना के दिशा-निर्देश पृथक होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश तिवारी, उप-सचिव.

प्रारूप-एक

पेट्रोल चलित दू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) हेतु आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी का नाम —
2. पिता का नाम —
3. माता का नाम —
4. जन्म तिथि —
5. लिंग —
6. वर्ग —
7. यू.डी.आई.डी./रजिस्ट्रेशन क्रमांक —
8. आधार कार्ड क्रमांक —
9. वर्तमान निवास स्थान का पता — ग्राम पंचायत/वार्ड.....
ग्राम/मोहल्ला —
तहसील..... जिला.....
10. दूरभाष नम्बर —
11. मोबाईल नम्बर —
12. स्थायी पता — ग्राम पंचायत/वार्ड.....
ग्राम/मोहल्ला —
तहसील..... जिला.....
13. शैक्षणिक योग्यता (स्वप्रमाणित) —
14. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित) —
15. मूल निवास प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित) —
16. माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये (स्वप्रमाणित) —
17. नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र —
18. रोजगार अथवा स्वरोजगार में संलग्न होने का प्रमाण-पत्र —
19. पूर्व में प्राप्त ट्रायसायकल अथवा बैटरी चलित मोटरसाईज्ड ट्रायसायकल/पेट्रोल चलित दू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी का विवरण (प्राप्ति वर्ष) —

स्वप्रमाणित फोटो
चस्पा करें

उम्र -

महिला	पुरुष	तृ.लि.	
अजा	अजजा	अपिव	समान्य

-:: घोषणा-पत्र ::-

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति.....
निवासी.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि
ऊपर आवेदन पत्र में अंकित समस्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेख मेरे ज्ञान अनुसार पूर्णतः
सत्य है। अगर कोई भी तथ्य असत्य पाई जावे तो मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी एवं
शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि पूर्व में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा
संचालित किसी भी योजनान्तर्गत ट्रायसायकल/बैटरी चलित मोटराईज्ड ट्रायसायकल/पेट्रोल
चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्राप्त नहीं किया है।

अथवा विगत 03 वर्ष की अवधि में ट्रायसायकल/बैटरी चलित मोटराईज्ड ट्रायसायकल
तथा विगत 05 वर्ष की अवधि में पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों
के साथ) प्राप्त नहीं किया है।

मेरे द्वारा इस योजनान्तर्गत प्राप्त पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त
पहियों के साथ)को किसी अन्य को हस्तांतरित/विक्रय नहीं की जावेगी। प्राप्ति दिनांक से
वाहन पर होने वाले समस्त व्यय का वहन मेरे द्वारा किया जाएगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवश्यक संलग्न दस्तावेज :-

अनिवार्य दस्तावेज :-	अन्य अतिरिक्त दस्तावेज :-
1. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र। (प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)	1. नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र। (संस्था प्रधान द्वारा जारी) (छात्रों हेतु)
2. आय प्रमाण-पत्र। (प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)	2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र। (साक्षरता की स्थिति में)
3. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र। (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण-पत्र)	3. रोजगार अथवा स्वरोजगार में संलग्न होने का प्रमाण-पत्र (संबंधित बैंक/विभाग/संस्था प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र) (रोजगार की स्थिति में)
4. यू.डी.आई.डी. कार्ड।	
5. आधार कार्ड।	
6. आयु प्रमाण-पत्र। (जन्म पंजी/ चिकित्सक का प्रमाण-पत्र/स्कूल प्रमाण-पत्र)	
7. अभ्यर्थी की 01 दिव्यांगता सहित फोटो चस्पा करे तथा 03 अतिरिक्त फोटो संलग्न।	
8. वैध ड्रायविंग लायसेंस	

कार्यालय उपयोग हेतु

कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण :- पात्र..... अपात्र.....

कारण के साथ टीप :-
.....
.....

(परीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम :

अनुमोदनकर्ता का टीप :-
.....
.....

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम :

// पावती रसीद //

श्री / श्रीमती / कुमारी..... पिता / पति.....
निवासी..... का आवेदन आज दिनांक
को कार्यालय में प्राप्त हुआ। समस्त वांछित अभिलेख संलग्न है / नहीं है।

(प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

कार्यालय सील :

दिनांक :

प्रारूप - दो

**हितग्राही का पंजीयन एवं पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर/स्कूटी
(दो अतिरिक्त पहियों के साथ) वितरण रजिस्टर**

क्र.	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	हितग्राही का नाम	पता	वर्ग (अ.जा./ अ.ज.जा. /पिछड़ा वर्ग/अन्य)	लिंग	उम्र	स्वीकृत/ अस्वीकृत	स्वीकृति/ अस्वीकृति का दिनांक	वितरण का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/844/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	अमाली	2.39/0.966	लारीपारा व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 25-3-2021 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम अमाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लारीपारा व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	4
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां

(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां-उल्लेखित भूमि पर लारीपारा व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1962.27 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/846/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	रतनपुर	उमरमरा	3.00/1.213	लारीपारा व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 27-3-2021 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम जोगीपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लारीपारा व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	3
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम हैं ?	—	हां

(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां-उल्लेखित भूमि पर लारीपारा व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1962.27 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला सम्भावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/848/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	पोंडी	0.17	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 3-4-2021 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पोंडी कोटा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	1
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम हैं ?	—	हां

(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां-उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण किया जाना है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	255000.00
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/850/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	पण्डरापथरा	2.10/0.850	आमामुडा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 31-3-2021 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पण्डरापथरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आमामुडा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण (पूरक प्रकरण)
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	3
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	-
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम हैं ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां-उल्लेखित भूमि पर आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3841.79 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला सम्भावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 6 मार्च 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3204/क/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	तुमान	2.117 हे.	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-04-2021 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन तुमान नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत भूमि अर्जन.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	39
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक

- | | | |
|------|--|---|
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—
की अनुमानित संख्या. | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार
कर लिया गया है. | — हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — - लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — आवागमन की सुविधा हेतु |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये
संभावित उपाय किये जा रहे हैं. |
| (11) | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 6 मार्च 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3211/क/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	पकरिया	1.292 हे.	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-04-2021 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- | | | | |
|----|--|-------|--|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत भूमि अर्जन. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 24 |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—
की अनुमानित संख्या. | निरंक | |

5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	- लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	आवागमन की सुविधा हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2021

क्रमांक/909/भू-अर्जन/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	अं. चौकी प.ह.नं. 12	2.031	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2021

क्रमांक/910/भू-अर्जन/14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	मानपुर	सहपाल प.ह.नं. 19	0.465	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	उच्चस्तरीय पुल मय पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी 2021

158/4 (म.नं. 4) 0.194

124 (म.नं. 3) 0.024

136/1 (म.नं. 3) 0.105

137/3 (म.नं. 3) 0.020

137/4 (म.नं. 3) 0.012

137/1 (म.नं. 3) 0.012

प्र. क्रमांक/790/भू-अर्जन/12/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

योग 06 0.367

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.367 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरवानी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी 2021

(1)

(2)

प्र. क्रमांक/792/भू-अर्जन/13/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-गुचकुलिया, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.847 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305	0.081
306/7	0.036
315	0.012
314/1	0.065
314/2	0.008
312/3	0.012
313/5	0.020
313/4	0.032
313/3	0.020
313/2	0.077
313/1	0.012
318	0.073
319	0.024
323/2	0.073
320/1	0.004
320/7	0.069
320/3	0.028
323/1	0.004
324/1	0.028
324/2	0.008
325/2	0.012
325/8	0.024
325/3	0.032
328/1	0.057

331	0.004
333, 334	0.004
332	0.056
योग	27
	0.847

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करमनडीह सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2021

प्र. क्रमांक/3658/14/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-पाड़ाहरदी, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.738 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
685/2	0.020
686/1	0.016
685/1	0.016
698/2, 702	0.053
744/1	0.166
697/1	0.016
698/4	0.032
735/2	0.085
698/1	0.032

(1)	(2)	जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2021	
698/3	0.057	प्र. क्रमांक/3660/11/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
744/2	0.024		
706/2	0.069		
706/1	0.012		
706/3	0.008		
718/3	0.101		
718/4	0.040		
718/2	0.004		
718/1	0.020		
719/1	0.045		
720	0.036		
722	0.040		
743	0.073		
739	0.049		
740	0.105		
738/1	0.012	अनुसूची	
738/2	0.036		
738/3	0.012	(1) भूमि का वर्णन—	
742	0.028	(क) जिला-जांजगीर-चांपा	
745	0.016	(ख) तहसील-जैजैपुर	
776/3	0.105	(ग) नगर/ग्राम-हरेठीखुर्द, प.ह.नं. 26	
744/2	0.024	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.014 हेक्टेयर	
775	0.032	खसरा नम्बर	रकबा
776/4	0.040		(हेक्टेयर में)
773	0.012	(1)	(2)
772	0.065	2	0.012
764/1	0.081	5/1	0.020
764/2	0.008	5/3	0.032
761	0.004	4	0.012
762/1	0.004	5/2ख	0.016
763/1	0.036	16	0.008
763/2	0.036	17	0.073
762/2	0.032	18/1, 19/1	0.008
762/3	0.036	15, 26/2	0.077
योग	43	28/1	0.048
		28/2	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमनडीह सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.	1.738	27/2	0.004
		28/3	0.020
		27/1	0.008
		32	0.004
		49	0.223
		50/2, 51/1	0.045
		92/2	0.020
		92/3	0.032
		91/2	0.057
		90/1	0.004
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.			

(1)	(2)	(1)	(2)
90/2	0.012	76/4	0.049
89/1	0.012		
88/2	0.045	योग	32
87/2	0.008		1.014
89/2	0.028	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरेठीखुर्द सब माइनर नहर निर्माण हेतु.	
81/1	0.061	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.	
78	0.028		
73/3, 74/1	0.004		
75	0.012	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
77/1	0.008	यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

अंतागढ़, दिनांक 2 फरवरी 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./07/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400005/7 वर्ष 2016-17
ग्राम पोटेबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/225/A/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम पोटेबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 17-02-2021 को प्रातः 11.00 बजे दिन बुधवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
(1)	(2)	(3)	(4)	ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	जयसिंह कोडया, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.46	1.14	एक फसली	-	साजा-2.6	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	इतवारू पिता सनऊ, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	निरंक	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण
3.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	मंगलू पिता मतेर, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.22	0.54	एक फसली	-	निरंक	
4.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	समसाय पिता बिरजू, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.30	0.74	एक फसली	-	चार-0.2, कर्मा-0.7, महुआ-0.7, तेंदू-1, साल-1.1, साल-1.4, साल-1.1, जामुन-1.3, तेंदू-0.6, साल-1.4, जामुन-1.3, साल-1.1, महुआ-0.9 तिलसा-0.8, साल-0.8, साल-1.5, साजा-1, साल-1.5, महुआ-0.8 साल-2, साल-1, महुआ-0.9, तेंदू-1.1, महुआ-0.8, कर्मा-0.8, साजा-1, महुआ-0.4 साल-2.3 जामुन-1.1 साल-1.5, साल-1.6, साल-1.4, साल-1.2, तेंदू-0.9, साल-1.3, महुआ-0.7 साजा-1, धौड़ा-0.8, साजा-1.2, साल-1.2, महुआ-1.05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	सनोतिबाई पिता सनऊ, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.22	0.54	एक फसली	-	साल-1.8, साल-1.7, महुआ-1, तेंदू-1.5, महुआ-1.7, कुसुम-1.2, तेंदू-0.6, साजा-1.2	
6.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	घसिया पिता दुराराम, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.15	0.37	एक फसली	-	छिंद-500	
7.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	सियाराम पिता दयालू, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	साजा-2.1, साजा-2, साजा-2.2, महुआ-2.1, महुआ-3, साजा-1.1	
8.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	महंगू पिता सुखराम, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.21	0.52	एक फसली	-	साजा-1.6, सागौन-2, छिंद- सागौन-0.4, तेंदू-1.5, साजा-1.4, तेंदू-1.5, महुआ-2.2, छिंद- सेनहा-0.5, सेनहा-0.7,	
9.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	सुखदेव पिता दुवारू, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.40	0.990	एक फसली	-	निरंक	
योग				9	2.42	5.98				

अंतागढ़, दिनांक 2 फरवरी 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./06/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400004/6 वर्ष 2016-17

ग्राम आतुरबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/227/A/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूँकि आतुरबेड़ा जलाशय नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम आतुरबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के

लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं। अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अधिकारों के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 17-02-2021 को प्रातः 11.00 बजे दिन बुधवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	सुदराम माता सनारोबाई, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.27	0.67	एक फसली	निरंक	महुआ-4.50	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण
2.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	खांडू पिता रूपजी, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.10	0.25	एक फसली	निरंक	महुआ-3.00, महुआ-2.60, महुआ-1.90	
3.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	आयतुराम पिता चैन, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.18	0.44	एक फसली	निरंक	-	
4.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	जानकु पिता उदेल, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.13	0.32	एक फसली	निरंक	-	
5.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	बजारूराम पिता जगदेव, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.24	0.59	एक फसली	निरंक	-	
6.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	स्व. सेगरूराम पिता पनामी, जाति गोंड के आश्रित परिवार	आर. एफ./764 में से	0.10	0.25	एक फसली	निरंक	-	
7.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	जुगरूराम पिता स्व. दुर्गु, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.10	0.25	एक फसली	निरंक	कुसुम-4.00	
8.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	रस्सु राम पिता बुधराम, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.07	0.17	एक फसली	निरंक	साजा-1.20, तेंदू-1.00, महुआ-3.10, महुआ-2.60, कुसुम-1.20, तेंदू-1.90, महुआ-1.70, महुआ-1.70	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	लखुराम पिता शंकर, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.58	1.43	एक फसली	निरंक	तेंदू-1.60, तेंदू-1.60, तेंदू-2.30, तेंदू-1.60, तेंदू-1.50, सेनहा-0.90, सेनहा-0.70, तेंदू-2.50, महुआ-2.60, नीम-0.50, नीम-0.50, अन्य-0.60, अन्य-0.60	
10.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	गड़वा राम पिता बुधराम, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.79	1.95	एक फसली	निरंक	चार-0.60, चार-0.60, कुसुम-0.40, धौड़ा-1.80, बेहड़ा-1.30, अन्य-0.90 साजा-1.00, साजा-1.00, साजा-1.10, धौड़ा-0.90, महुआ-2.60, महुआ-2.50, तेंदु-1.20	
कुल योग					2.56	6.32				

अंतागढ़, दिनांक 4 फरवरी 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./08/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400006/8 वर्ष 2016-17
ग्राम वर्चे, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/234/A/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम वर्चे, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अधिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 18-02-2021 को प्रातः 11.00 बजे दिन गुरुवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में

तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	वर्चे	अंतागढ़	श्यामलाल पिता सुखराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.28	0.69	एक फसली	-	छेना-0.3, छेना-0.35, छेना-0.45, छेना-0.35, छेना-0.35, छेना-0.4, छेना-0.55, छेना-0.5, साजा-1.6, साजा-1.4, महुआ-1.1, जामुन-0.5	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण
2.	वर्चे	अंतागढ़	मनारोबाई पिता सिंगलूराम, गोंड	आर. एफ./695 में से	0.48	1.19	एक फसली	-	साजा-1.35, साल-1.3, महुआ-0.9, तेंदू-1.6, धोबिन-0.6, भेलवा-1.2, महुआ-0.55, साल-1.5, साजा-1, साजा-1.2, महुआ-0.9, साजा-1.15, महुआ-0.9, महुआ-0.9, महुआ-0.65, महुआ-1.2, महुआ-1, महुआ-0.9, साजा-1, महुआ-1.2, महुआ-1.5, महुआ-1,	
3.	वर्चे	अंतागढ़	घसियाराम पिता मेरसिंह, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.10	0.25	एक फसली	-	साजा-1.5, महुआ-0.6, साजा-1.5, महुआ-1.8, साल-0.3, रेहान-0.9, करी-0.5,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									तेंदू-0.6, तेंदू-1.5, साजा-0.5, साल-0.5, साल-1.2, साजा-0.8, साल-0.9, साल-1, साल-0.9, साल-1.1	
4.	वर्चे	अंतागढ़	सोनसिंह पिता सनकुर, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.38	0.95	एक फसली	-	धावड़ा-2, साजा-2.3, मोदगा-2.35, सागौन-0.4, सिंदुर-1.35, सागौन-0.6, बरगद-1.85, सागौन-1.3, कुम्ही-1.9, तेंदु-1, मोदगा-1.4	
5.	वर्चे	अंतागढ़	भुवनलाल पिता जगताराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.52	1.28	एक फसली	-	महुआ-2.9, साजा-1.1, साजा-1.1, कर्मा-0.7, साल-2.5, महुआ-0.55, कुम्ही-1.2, सागौन-0.6, महुआ-0.55, सागौन-0.85, कुसुम-2.8 साजा-1.6, सागौन-1.7, साजा-2.3, साजा-1.6, तेंदू-1.7, छेना-0.7, तेंदु-1.6	
6.	वर्चे	अंतागढ़	भुनेश्वर पिता वल्लीराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.09	0.22	एक फसली	-	साजा-1, रेहान-0.8, धावड़ा-1, साजा-1.1, तेंदू-0.9, कहवा-0.8, कर्मा-0.3, कर्मा-0.4, धोबिन-0.85, कर्मा-0.3, साजा-0.85,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									धावड़ा-0.5, साजा-0.9, रेहान-0.6, रेहान-0.45, कर्मा-0.3, रेहान-0.65, कर्मा-0.4, कर्मा-0.4, रेहान-0.6, रेहान-0.35, साजा-0.35, धावड़ा-0.4, रेहान-0.4, कर्मा-0.3, साल-0.3, साल-0.75, साल-0.55, साजा-0.4, मोदगा-0.55, रेहान-0.3, महुआ-1.1, साल-1.2, साजा-1.2, रेहान-0.65, रेहान-0.75, कर्मा-0.75, तेंदू-1.1, साल-0.55, साजा-0.6	
7.	वर्चे	अंतागढ़	अंकालूराम पिता जगताराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	कुसुम-0.3, कुसुम-1.4, कुसुम-1, साजा-2, कुसुम-0.75, मोदगा-0.8, सागोन-0.4, मोदगा-0.6, मोदगा-0.6 भेलवा-0.75, भेलवा-0.6, मेदगा-1.2, साल-1.4, हरा-1.3, कुसुम-0.6, खम्हार-1.3, साजा-1.3, कुसुम-0.7, मुंडी-1.46, मोदगा-0.75	
8.	वर्चे	अंतागढ़	रजाऊराम पिता बुधराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.08	0.20	एक फसली	-	साजा-1.6, कुसुम-1, साजा-1,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									महुआ-1.7, सागोन-1, सागोन-0.6, महुआ-1.3, कर्रा-1.25, साजा-1.6, सागोन-0.75, सागोन-0.8, महुआ-2, कुसुम-0.75, कुसुम-0.95, साजा-1.8, कुसुम-1.4, कुसुम-0.7	
9.	वर्चे	अंतागढ़	तुरसिंह पिता सनधर, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	सागोन-0.9, मोयन-1.1, कुसुम-1.6, कुसुम-0.6, कुसुम-2.2, साल-1.3, साल-0.55, कुम्ही-0.75, गिर्ची-0.7, साल-0.8, तेंदु-1.1, कुम्ही-0.9, कुसुम-0.8, साल-0.9, साल-1.1, जामुन-1.3, महुआ-2.4, तेंदु-0.3, मीची-2.1, मिची-1.1, हर्रा-0.7, धावड़ा-0.9	
10.	वर्चे	अंतागढ़	दसरू पिता डूडी जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.15	0.37	एक फसली	-	महुआ-2.4, महुआ-0.8, कुसुम-1.1, तेंदु-1.2, साल-1.3, रेहान-0.85, तेंदु-0.9, साजा-0.8, साल-2.05, साल-2.3, महुआ-1.4, साल-1.2, साल-1.25, तेंदु-1.3,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									तेंदु-1, तेंदु-0.4, साल-0.75, साल-1.1, साल-1.1, रेहान-0.6, महुआ-0.45, जाम-0.65, तेंदु-0.55, महुआ-0.6, महुआ-1.1, साल-0.8, करा-0.4, महुआ-1.4, साल-0.6, रेहान-0.3, रेहान-0.85, रेहान-0.3, साल-1.3, साजा-0.8, करा-0.35 धावड़ा-0.65, साल-0.5, साल-0.65 साल-0.4, रेहान-0.6, साल-1.3, रेहान-0.8, तेंदु-0.3, तेंदु-0.5, साल-1.75, साजा-1.1, रेहान-0.9, साल-1, डोंडरा-0.65, साल-0.9	
11.	वर्चे	अंतागढ़	रत्तेसिंह पिता कोजा, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	महुआ-1, महुआ-0.7, महुआ-0.7, महुआ-0.6, महुआ-1, बीजा-1.35, साजा-0.65, साजा-0.65, मुहुआ-0.8, महुआ-1.05, महुआ-2, साजा-1.25	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	वर्चे	अंतागढ़	रिंगू पिता सोनुराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.30	0.74	एक फसली	-	महुआ-1.5, तेंदु-0.4	
कुल योग				12	3.07	7.6				

अंतागढ़, दिनांक 4 फरवरी 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./09/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400007/9 वर्ष 2016-17
ग्राम मड़पा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/238/A/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम मड़पा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 18-02-2021 को प्रातः 11.00 बजे दिन गुरुवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
(1)	(2)	(3)	(4)	ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	मड़पा	अंतागढ़	बिसनु पिता जगू, जाति गोंड	आर. एफ./694 में से	0.09	0.22	एक फसली	-	कुसुम-1.7, मोदगा-1.4, मोदगा-0.6, मोदगा-1.2 कहुआ-0.5, कहुआ-0.4, कढरी-0.6, महुआ-1.5, करा-0.9, करा-0.9, महुआ-1.8, मोदगा-0.6, महुआ-1.2,	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	मड़पा	अंतागढ़	शम्भूराम पिता मेरसिंह जाति गोंड	आर. एफ./694 में से	0.12	0.30	एक फसली	-	कर्मा-0.8, धावड़ा-1.1, कर्मा-0.65, कर्मा-0.85, रेहान-1.2, कर्मा-0.8, कर्मा-0.6, तेंदु-1, तेंदु-1.3, तेंदु-0.9, कर्मा-0.5, साजा-1.3, महुआ-1.8, कर्मा-1, छेना-0.9, कर्मा-0.7, कर्मा-0.7, कर्मा-0.8, सेन्हा-0.9, कर्मा-0.7, कर्मा-0.7, कर्मा-0.8, साल-1.6, महुआ-1.6, महुआ-0.7, कर्मा-1, सेन्हा-1.55, तेंदु-1.5, साजा-1.5,	
3.	मड़पा	अंतागढ़	करमू पिता मेहरसिंह, जाति गोंड	आर. एफ./694 में से	0.28	0.70	एक फसली	-	साजा-0.6, मुंडी-0.3, मुंडी-0.3, कुसुम-1.9, महुआ-0.5, साजा-0.8, महुआ-1.05, सागौन-0.3	
4.	मड़पा	अंतागढ़	सुरजू पिता चमरू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.07	0.17	एक फसली	-	महुआ-1.2, महुआ-1, कुसुम-1.2, महुआ-0.8, कुसुम-0.85, फरसा-1.1, महुआ-1.85, फरसा-0.3, महुआ-0.75, सागौन-0.6, कुसुम-0.65, कुसुम-0.55, फरसा-0.5,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									धावड़ा-0.3, कर्मा-1.2, अन्य-0.6, अन्य-0.6, अन्य-0.6	
5.	मड़पा	अंतागढ़	बिरजू पिता चमरू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.16	0.40	एक फसली	-	कुसुम-0.35, साजा-1.6, सागौन-0.35, तेंदु-0.6, महुआ-0.95, सेन्हा-1.65, महुआ-1.1, कर्मा-0.65, कर्मा-0.6, कर्मा-0.3, कर्मा-0.5, कर्मा-0.3, कर्मा-0.5, तेंदु-1.4, कुसुम-0.6, महुआ-1, साजा-1.4, महुआ-1.55	
6.	मड़पा	अंतागढ़	रामू पिता करमू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.28	0.70	एक फसली	-	धावड़ा-1.9, सागौन-0.7, साजा-1.6, सागौन-0.4, महुआ-1.7, महुआ-1.25, महुआ-2.15	
7.	मड़पा	अंतागढ़	बिरेन्द्र पिता जग्गू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.09	0.22	एक फसली	-	तेंदु-0.3, कर्मा-0.3, महुआ-0.5, रेहान-0.4, अन्य-0.45, महुआ-0.4, साजा-0.5, साजा-0.6, साजा-0.5, साल-0.3, कर्मा-0.3, महुआ-0.5, साजा-0.85, साल-0.9, रेहान-1, अन्य-0.5, रेहान-0.7, साजा-0.45, रेहान-0.3,	

संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 मार्च 2021

आदेश क्रमांक 267/2021

प्र. क्रमांक/सी.एस.ए./प्रशा./295/2021/572.—संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर द्वारा माह-फरवरी 2021 (दिनांक 16-02-2021 से 20-02-2021 तक) में आयोजित “छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो” में नवनियुक्त परिवीक्षाधीन ज्येष्ठ संपरीक्षक के नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्त अनुसार एवं अधीनस्थ लेखा सेवा में प्रवेश हेतु सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक के उत्तीर्ण प्रतिभागियों की सूची

क्रमांक (1)	अनुक्रमांक (2)	कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)	वर्ग (5)	कार्यालय (6)
1.	21001	श्री तुलसी प्रसाद श्रीवास	सहायक ग्रेड-3	अ.पि.व.	रायगढ़
2.	21002	श्री सतीश कुमार भारती	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	राजनांदगांव
3.	21003	कु. निशा दुबे	सहायक संपरीक्षक	सामान्य	अंबिकापुर
4.	21004	श्री अनिल कुमार ओग्रे	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	अंबिकापुर
5.	21005	श्री सौरभ कश्यप	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	संचालनालय
6.	21006	श्री भूपेन्द्र पाटिल	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	संचालनालय
7.	21007	श्री सुशील कुमार देव	सहायक ग्रेड-3	अ.ज.जा.	संचालनालय
8.	21009	श्री प्रदीप कुमार कैवर्त	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	जगदलपुर
9.	21010	श्री हरखचंद कंवर	सहायक ग्रेड-3	अ.जा.	जगदलपुर
10.	21011	श्री कृष्ण कुमार गोंड	सहायक ग्रेड-3	अ.ज.जा.	राजनांदगांव
11.	21012	श्री राजकुमार कोशले	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	राजनांदगांव
12.	21013	श्री भिनेन्द्र कुमार वामन	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	राजनांदगांव
13.	21014	श्री दीनबंधु चतुर्वेदी	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	राजनांदगांव

अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-दो के उत्तीर्ण प्रतिभागियों की सूची

क्रमांक (1)	अनुक्रमांक (2)	कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)	वर्ग (5)	कार्यालय (6)
1.	22001	श्री जुनैद खान	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परि.)	सामान्य	बिलासपुर
2.	22002	श्री राहुल कुमार	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परि.)	अ.पि.व.	बिलासपुर
3.	22003	श्री अंकित सोनी	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	बिलासपुर
4.	22004	कुमारी किरण पाण्डेय	सहायक संपरीक्षक	सामान्य	बिलासपुर
5.	22005	सुश्री पुष्पा चंद्रा	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	बिलासपुर
6.	22006	सुश्री लता बंजारे	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	बिलासपुर
7.	22007	श्रीमती ज्योति लहरे	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	बिलासपुर
8.	22008	श्री महेश कुमार चंद्रा	सहायक ग्रेड-2	अ.जा.	बिलासपुर
9.	22009	श्री रविकुमार निर्मलकर	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	अंबिकापुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	22010	श्री रामायण सिंह कंवर	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	रायगढ़
11.	22011	श्री भरत लाल जगत	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	रायगढ़
12.	22012	श्री भूपेन्द्र कुमार साहू	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परि.)	अ.पि.व.	रायपुर
13.	22013	पूजारानी ध्रुव	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	रायपुर
14.	22014	श्री अजय टण्डन	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	रायपुर
15.	22015	अरूणा जेण्ड्रे	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	रायपुर
16.	22017	श्रीमती नेहा टिकरिहा	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायपुर
17.	22018	कु. आफरीन रोजा	सहायक ग्रेड-3	सामान्य	रायपुर
18.	22020	श्री राकेश कुमार नागवंशी	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परि.)	अ.ज.जा.	संचालनालय
19.	22021	श्री जलेश राम	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	राजनांदगांव
20.	22022	श्री राजन सिंह	सहायक संपरीक्षक	सामान्य	जगदलपुर
21.	22023	श्री किशोर कुमार ठाकुर	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	जगदलपुर
22.	22024	श्रीमती लालिमा कश्यप	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	जगदलपुर

शैलेन्द्र बंशपाल,
परीक्षा नियंत्रक.

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़
कृषि विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2021

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2019-20/2395.—मैं अमृत कुमार खलखो, गन्ना आयुक्त, छ.ग. रायपुर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना, पण्डरिया जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर कबीरधाम द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (5)
1.	कारखाना द्वार	पण्डरिया	179	7864.386
		मुंगेली	19	63.280
		लोरमी	16	43.390
योग			198	7971.056

अमृत कुमार खलखो,
गन्ना आयुक्त

पेराई सत्र 2020-21 हेतु लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण विकासखण्ड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार (पण्डरिया ब्लॉक) सत्र 2020-21

स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
1	PANDATARAI	179.82	32.00	211.816	
2	PANDARIYA	73.53	16.25	89.776	
3	VIRESRA	52.86	21.91	74.764	
4	BODTRAKHURD	50.77	28.20	78.972	
5	RAPA	34.24	12.97	47.208	
6	PARASWARA	169.06	5.82	174.888	
7	RAUHA	53.10	12.44	65.536	
8	KHAIRWARKALA	60.37	19.88	80.252	
9	NAWAGAON KALA	25.32	3.74	29.052	
10	JANGALPUR	123.71	8.40	132.112	
11	ANDHIYARKHOR	140.02	1.39	141.412	
12	RAITAPARA	131.68	104.46	236.144	
13	MOHGAON	188.94	57.16	246.107	
14	PALANSARI	318.32	42.86	361.180	
15	RUSE	234.22	13.06	247.280	
16	BHAGATPUR	63.60	4.62	68.220	
17	NAWAGAON GAJRI	16.25	9.64	25.888	
18	BHATTRUSE	28.92	32.77	61.696	
19	MAKRI	32.46	17.61	50.064	
20	KUNDA	44.36	13.36	57.720	
21	PENDRIKALA	37.44	102.12	139.560	
22	PRATAPPUR	38.79	6.09	44.876	
23	SARAIPATERA	38.25	16.98	55.232	
24	HATTANAWAGAON	9.29	6.50	15.792	
25	DASHARANGPUR	86.02	11.99	98.012	
26	CHARBHATAKALA	51.90	4.56	56.460	
27	PUTKIKALA	55.58	31.82	87.404	
28	MANJHOLI	102.22	69.80	172.016	
29	DHOBGHATTI	90.31	14.11	104.416	
30	BAGHAMUDA	2.37	5.33	7.700	
31	SAWATPUR	3.60	4.83	8.428	
32	DALPI	0.20	3.02	3.220	
33	KUBHAKHURD	18.16	7.83	25.992	
34	DONGARIYA-KALA	197.20	14.43	211.628	

स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
35	NAWAPARA PANDATARAI	62.40	14.92	77.316	
36	MOHTARAKHURD	32.80	15.74	48.536	
37	ROHRA	35.17	13.41	48.584	
38	KESLIKHURD	14.20	1.46	15.656	
39	KANJHETI	22.42	27.01	49.432	
40	KUWAMALGI	56.12	37.60	93.728	
41	BANDHA	8.89	15.23	24.124	
42	PUSERA	8.59	1.84	10.432	
43	RENGABOARD	0.40	1.31	1.712	
44	PATHARRI	34.64	22.14	56.788	
45	KUMHI	156.95	14.70	171.648	
46	DHANELI	46.37	7.58	53.952	
47	MAHKA	4.76	2.67	7.432	
48	LADUVA	58.34	11.32	69.660	
49	BASANI	20.64	32.24	52.884	
50	MOHTARAKALA	125.01	12.07	137.080	
51	KARIMATI	96.38	35.88	132.268	
52	MAHLI	2.34	6.92	9.264	
53	POUNI	29.81	24.44	54.256	
54	BAGHARRA	1.08	0.10	1.184	
55	PIPARMATI	44.84	73.45	118.284	
56	LALPURPND	39.44	22.80	62.244	
57	BHAISBOD	1.73	0.72	2.448	
58	LOKHAN	4.14	6.90	11.036	
59	BHADRALI	4.04	13.20	17.236	
60	TORALANAVAPARA	29.18	0.00	29.184	
61	AKHARA	26.31	4.80	31.108	
62	GAURKAPA	2.58	6.44	9.020	
63	DULLAPUR	3.78	0.98	4.760	
64	KOYLORIKANPA	64.44	29.90	94.348	
65	KAPA RUSE	23.96	4.62	28.576	
66	AMALDIHA	1.18	1.34	2.524	
67	NANAPURI	19.02	0.54	19.556	
68	DEVPURA	18.38	6.11	24.492	
69	KANJHETA	82.82	16.68	99.500	
70	TENDUADIH	19.60	14.03	33.628	
71	SAIHAMALGI	52.04	47.34	99.384	
72	REHUTAKHURD	10.38	13.11	23.484	

स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
73	CHARKHURAKALA	103.71	25.77	129.484	
74	KAPADAH	6.49	6.26	12.752	
75	SAGONADIH	6.05	10.72	16.768	
76	DOMSARA	10.28	5.92	16.204	
77	GUNJHETA	10.72	7.41	18.124	
78	KOLEGAON	96.47	71.93	168.404	
79	NINGAPUR	30.10	33.65	63.748	
80	DALPURWA	20.04	23.00	43.048	
81	RAMTALA	32.14	9.46	41.604	
82	BAILMUDA	22.56	13.09	35.652	
83	SODHA	91.80	37.96	129.764	
84	PENDRIKHURD	5.36	17.76	23.120	
85	KHALTUKARI	36.98	17.28	54.260	
86	SOMNAPUR	14.58	14.20	28.776	
87	KISHUNGARH	21.66	32.06	53.716	
88	SIRMADABARI	29.99	8.24	38.228	
89	CHARBHATA KHURD	116.69	19.44	136.132	
90	HATHMUDI	56.71	36.92	93.628	
91	KESHALMARA	2.34	0.30	2.636	
92	CHHITAPAR	15.97	1.71	17.684	
93	DABRI	0.62	6.43	7.052	
94	BIJABHAT	1.01	5.02	6.024	
95	SENHABHATA	3.23	0.79	4.020	
96	KODAPURI	1.27	6.71	7.976	
97	KHAIRJHITI PURANA	17.95	0.32	18.268	
98	NAWAGAON KHAGESH	5.10	6.72	11.820	
99	KARPIKALA	0.51	1.60	2.112	
100	SURAJPURAKALA	17.90	12.76	30.656	
101	GHORPENDRI	6.90	7.86	14.756	
102	SONPURI	3.15	0.32	3.464	
103	DHUTPUR	2.56	4.17	6.728	
104	ALIPUR	0.30	0.68	0.976	
105	SINGARPUR	5.92	17.49	23.408	
106	MAINPURA	7.38	0.00	7.380	
107	MOTIMPUR	2.16	2.48	4.640	
108	SURAJPURAKHURD	16.50	24.72	41.220	
109	KHAMARIYA	14.64	19.99	34.628	
110	BANIYAKUBA	2.60	1.08	3.684	

स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
111	AMERA	0.80	0.00	0.800	
112	LADANGPUR	24.85	9.82	34.668	
113	BIRKONA	2.88	6.28	9.168	
114	BINORI	11.14	29.82	40.968	
115	BIRAMPUR	3.09	12.03	15.124	
116	MUNMUNA	6.43	1.91	8.336	
117	PATUWA	5.37	4.32	9.688	
118	KODWAKALA	10.57	11.92	22.496	
119	AMLIMALGI	27.84	29.96	57.800	
120	SEMARKONA	8.20	36.84	45.044	
121	MAUHAMADWA	2.07	10.05	12.116	
122	PRANKHAIRA	4.96	10.58	15.540	
123	KHARHATTA	8.42	7.08	15.496	
124	PIPARKHUTI	7.77	4.64	12.416	
125	TILAIBHATA	22.47	14.42	36.892	
126	MAJNUKANPA	39.20	66.60	105.796	
127	PADKIKALA	9.30	16.42	25.728	
128	JHIRIYAKALA	1.75	24.01	25.760	
129	JHIRIYAKHURD	3.26	23.42	26.688	
130	NEURGAON-NAWAGAON	12.92	7.13	20.056	
131	NAWAGAON MUSAU	3.51	0.26	3.768	
132	BANSAPUR	0.53	8.41	8.936	
133	GOBARRA	8.04	13.48	21.524	
134	REHUNTAKALA	10.50	36.88	47.376	
135	SANDI	44.72	0.00	44.720	
136	DULLIPAR	5.32	3.72	9.044	
137	ODADABRI	4.25	0.95	5.200	
138	MOTESARA	6.56	15.45	22.004	
139	PUTKIKHURD	5.26	7.21	12.472	
140	BHAGATPUR KHAIRJHITI	18.68	27.71	46.388	
141	BUCHIPARA	1.34	1.52	2.856	
142	KOYLARIKALA	2.54	28.70	31.244	
143	SARUPARA	10.98	7.39	18.368	
144	NAWAGAON TIKET	1.20	2.51	3.712	
145	AMADAH	1.33	30.80	32.124	
146	GHUTARKUNDI	4.68	3.36	8.032	
147	RAHMAN KANPA	2.37	1.90	4.276	
148	GHOGHRA KALA	7.40	27.11	34.508	

स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
149	DULLAPUR BAZAR	0.29	20.21	20.504	
150	BIJAITOLA	21.02	8.04	29.056	
151	LIMHAIPUR	1.38	3.10	4.476	
152	KESHALI-GODAN	2.85	10.77	13.616	
153	PADHI	2.18	8.25	10.432	
154	GANGPUR	8.52	31.28	39.804	
155	RAMHEPUR BHAGATPUR	16.49	61.03	77.524	
156	LALAPUR KHURD	0.26	16.22	16.472	
157	PATAUHA	0.80	1.80	2.596	
158	KUI	1.60	2.98	4.580	
159	LALPUR -KUI	2.22	5.72	7.940	
160	KHAIRJHITI NEW	3.23	0.00	3.232	
161	SEMRHA	1.12	0.81	1.924	
162	SOMANAPUR NAYA	9.70	9.48	19.184	
163	DAMAPUR PANDARIYA	0.40	0.29	0.692	
164	DOMMANPUR	0.00	0.48	0.480	
165	BHAREWA PARA	0.00	0.90	0.904	
166	BODHIPARA	0.00	7.50	7.504	
167	BHUWAL PUR	0.00	0.80	0.800	
168	TATAKASA	0.00	0.28	0.276	
169	KAWALPUR	0.00	0.45	0.452	
170	BHAREWA PURAN	0.00	0.96	0.960	
171	SUKLIGOVIND	0.00	1.54	1.544	
172	KHAMHI KUI	0.00	1.59	1.592	
173	PAWARJALI	0.00	2.45	2.452	
174	NAROLI	0.00	0.15	0.152	
175	PRANKANPA	0.00	2.69	2.688	
176	DEVSARA	0.00	2.08	2.080	
177	BAKELA	0.00	1.75	1.748	
178	BAKBUDA	0.00	0.67	0.668	
179	KARPI GODAN	0.00	0.81	0.808	
	योग	5,282.90	2,581.49	7864.386	

कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार (मुंगेली) सत्र 2020-21					
स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
1	TEDHADHAURA	1.20	1.71	2.91	
2	MUNGELI	2.49	0.00	2.49	
3	TULSIKANPA	2.40	11.26	13.66	
4	BANKI	3.38	1.78	5.16	
5	KOLIHADIH	1.28	0.00	1.28	
6	JHALIAPUR	1.68	0.00	1.68	
7	PAUNI	4.12	2.98	7.10	
8	TINGIPUR	1.59	1.51	3.10	
9	SARANGPUR	3.10	0.00	3.10	
10	SIPAHI	2.67	0.00	2.67	
11	DODA POUNI	0.40	0.00	0.40	
12	SEMARKONA	0.29	0.00	0.29	
13	BHURKA-BHATA	0.84	0.00	0.84	
14	NIRJAAM	0.67	0.00	0.67	
15	DHANGANW	0.36	0.00	0.36	
16	BHURKA	1.39	0.00	1.39	
17	DABO	0.88	0.00	0.88	
18	KEHARPUR MUNGELI	0.76	13.87	14.63	
19	BHIMURI MUNGELI	0.64	0.00	0.64	
	योग	30.16	33.12	63.28	

कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार (लोरमी) सत्र 2020-21					
स.क्र.	ग्राम का नाम	शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयर धारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में	विशेष
1	GHATHOLI	3.35	0.00	3.35	
2	KHAPARIKALA	2.29	3.72	6.01	
3	LAGRA	1.04	0.77	1.80	
4	SALHEGHORI	4.32	0.00	4.32	
5	SUKLI	0.40	0.00	0.40	
6	JUNAPANI	2.26	0.64	2.90	
7	BODTARAKALA	1.62	0.00	1.62	
8	TELIKHAMHI	4.77	0.30	5.07	
9	BAGHMAR	0.58	0.38	0.95	
10	FULJHAR	0.23	0.00	0.23	
11	PATARRI	0.24	1.41	1.65	
12	KHAIRA KHURD	0.80	0.06	0.86	
13	DUNMARHA	1.23	3.74	4.97	
14	HARDI	0.44	1.62	2.06	
15	DINDOL	1.68	0.00	1.68	
16	GOLHAPARA	1.77	3.73	5.50	
	योग	27.02	16.37	43.39	